रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 33] नई दिल्ली, अगस्त 11—अगस्त 17, 2019, शनिवार/श्रावण 20—श्रावण 26, 1941

No. 33] NEW DELHI, AUGUST 11—AUGUST 17, 2019, SATURDAY/SRAVANA 20— SRAVANA 26, 1941

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

मंत्रिमंडल सचिवालय

(राष्ट्रपति भवन)

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2019

सा.का.नि. 257.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और मंत्रिमंडल सचिवालय टिफिन कमरा समूह 'ग' और 'घ' पद भर्ती नियम, 2002 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, मंत्रिमंडल सचिवालय में लिपिक और कैंटीन परिचारक पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मंत्रिमंडल सचिवालय कैंटीन समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना:- ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति -

Age limits for direct recruits	**Educational and other qualifications required for direct recruits**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees**	**Period of probation, if any**
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption, percentage of the vacancies to be filled by various methods	**In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption is to be made**	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment**
(10)	(11)	(12)	(13)
By Deputation	**Deputation :** Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration: (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the post in the Level-5 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department;and (b) possessing the following educational qualification and experience: (i) Degree from a recognised university or institute; and (ii) two years' experience in Protocol work. **Note 1:** (Period of deputation including period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years). **Note 2:** The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications.	Not applicable	Consultation with UPSC not necessary.

[F. No. A-12018/02/2016-Adm.IV]

ASHOK KUMAR, Under Secy.

पर्यटन मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2019

सा.का.नि. 260.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पर्यटक संगठन (राजपत्रित कर्मचारिवृन्द) भर्ती नियम, 1959 को जहां तक उनका संबंध सहायक निदेशक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यटन मंत्रालय में सहायक निदेशक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यटन मंत्रालय, सहायक निदेशक (समूह 'ख' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2019 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समाचीन है, वहां वह आदेश द्वारा उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
सहायक निदेशक	48*(2019) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर – 7 (रु. 44,900–1,42,400/-)

चयन पद अथवा अचयन पद	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं**
(5)	**(6)**	**(7)**
चयन	30 वर्ष से अनधिक (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से	**आवश्यक :** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक; (ii) पर्यटन या जन संपर्क या प्रचार के क्षेत्र में या प्रशासनिक कार्य में तीन वर्ष का अनुभव जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार, अथवा संघ राज्यक्षेत्र अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रम

	आवदेन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, संघ राज्य क्षेत्र अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	अथवा विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान अथवा अर्द्ध सरकारी अथवा कानूनी अथवा स्वशासी संगठन अथवा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान अथवा सूचीबद्ध निजी संगठनों में पर्यटन अथवा आतिथ्य के क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव भी शामिल है। **वांछनीय :** छह माह की न्यूनतम अवधि का विदेशी भाषा पाठ्यक्रम (अंग्रेजी के अलावा) में डिप्लोमा अथवा प्रमाण पत्र। **टिप्पण 1:** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, कारणों को लेखबद्ध करके, सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हताएं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम में सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

क्या पदोन्नति के मामले में सीधी भर्तियों के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक अर्हता लागू होगी	**परिवीक्षा, की अवधि यदि कोई हो**	**भर्ती का तरीका सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत**	**पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में किन श्रेणियों से पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा**
(8)	**(9)**	**(10)**	**(11)**
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। **टिप्पणी:** परिवीक्षा को पूरा करने के लिए न्यूनतम दो सप्ताह के अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण को सफलता पूर्वक पूरा करना पूर्व अपेक्षित है।	(i) 50% पदोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर अल्पकालिक संविदा है, जिसके अंतर्गत प्रतिनियुक्ति द्वारा; (ii) 50% सीधी भर्ती द्वारा।	**पदोन्नति** (i) वेतन मैट्रिक्स में लेवल-6 (35,400 रु. – 1,12,400/-) में ऐसे पर्यवेक्षक अथवा पर्यटन सूचना अधिकारी जिन्होंने उक्त ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ पर्यटन मंत्रालय द्वारा विहित संगठनों अथवा संस्थान से सुसंगत क्षेत्र में दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पणी 1:** प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची अधिकारियों द्वारा अपनी अपनी ग्रेड या पद में विहित अर्हक सेवा के पूरा करने की तारीख के संदर्भ में तैयार की जाएगी। **टिप्पणी 2:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसे अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में

			प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):** केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र अथवा अर्द्ध-सरकारी या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा विश्वविद्यालयों या पब्लिक सेक्टर उपक्रम अथवा कानूनी या स्वशासी संगठनों के ऐसे आधिकारी: (क) (i) जो मूल काडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; अथवा (ii) मूल काडर अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स में लेवल -6 (35,400 रु. 1,12,400/- रु.) में नियमित पदों पर नियुक्ति के पश्चात उक्त ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हों; और (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं । **टिप्पण 1** – पोषक-प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति या आमेलन के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2** – प्रतिनियुक्ति अल्पकालिक संविदा सहित की अवधि केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अल्पकालिक संविदा सहित अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर अल्पकालिक संविदा सहित नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
I. समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति में (प्रोन्नति संबंधी विचार करने हेतु) निम्नलिखित होंगे: 1. अपर महानिदेशक (पर्यटन) या संयुक्त सचिव (पर्यटन) प्रशासनिक प्रभारी, पर्यटन मंत्रालय - अध्यक्ष; 2. निदेशक या उप सचिव-प्रशासनिक प्रभारी, पर्यटन मंत्रालय - सदस्य; 3. कोई अन्य निदेशक अथवा उप सचिव, पर्यटन मंत्रालय -सदस्य **II. समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति में (पुष्टि संबंधी विचार करने हेतु) निम्नलिखित होंगे:-** 1. अपर महानिदेशक (पर्यटन) या संयुक्त सचिव (पर्यटन) प्रशासनिक प्रभारी, पर्यटन मंत्रालय - अध्यक्ष; 2. निदेशक या उप सचिव-प्रशासनिक प्रभारी, पर्यटन मंत्रालय - सदस्य; 3. कोई अन्य निदेशक अथवा उप सचिव, पर्यटन मंत्रालय - सदस्य	सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. क-12018/01/2014-प्रशा.-I]

ओम प्रकाश, अवर सचिव

MINISTRY OF TOURISM

New Delhi, the 14th August, 2019

G.S.R. 260.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Tourist Organisation (Gazetted Staff) Recruitment Rules, 1959 in so far as they relate to the post of Assistant Director, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Director in the Ministry of Tourism, namely:-

1. **Short title and commencement**.—(1) These rules may be called the Ministry of Tourism, Assistant Director (Group 'B' Gazetted Post) Recruitment Rules, 2019.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. **Number of posts, classification, level in pay matrix.—**The number of the post, it's classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc**.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.—**No person,

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

   (b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax**.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other conditions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	**Number of post**	**Classification**	**Level in pay matrix**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
Assistant Director	48*(2019) Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'B' Gazetted, Non-ministerial.	Level-7 (Rs.44,900 - 1,42,400/-)

Whether selection post or non-selection post	**Age-limit for direct recruits**	**Educational and other qualifications required for direct recruits**
(5)	**(6)**	**(7)**
Selection	Not exceeding thirty years. (Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the	**ESSENTIAL:** (i) Bachelor's Degree in any discipline from a recognised University;

	instructions or orders issued by the Central Government.) **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union Territory of Andaman and Nicobar Islands and Union Territory of Lakshadweep.	(ii) three years' experience in the field of public relations or publicity or administrative work including two years' experience in the field of tourism and hospitality in the Central Government or State Government or Union territories or Public Sector Undertaking or Universities or recognized research institutions or semi-government or statutory or autonomous organisations or recognized educational institutions or listed private organisations. **DESIRABLE:** Diploma or Certificate of foreign language course (other than English) for a minimum period of six months. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the post reserved for them.

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in case of promotes	**Period of probation, if any**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods**	**In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made**
(8)	**(9)**	**(10)**	**(11)**
Not applicable	Two years for direct recruits. **Note:** Successful completion of mandatory induction training of at least two weeks is a pre-requisite for completion of probation.	(i) Fifty per cent by promotion failing which by deputation including short-term contract; (ii) Fifty per cent by direct recruitment.	**PROMOTION:** (i) Superintendent or Tourism Information Officer in level-6 (Rs.35,400 - 1,12,400/-) in the pay matrix with five years' regular service in the grade and successfully completed two to four week training in the relevant field from organisations or institute prescribed by the Ministry of Tourism. **Note 1:** The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade or post.

			Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided, they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **DEPUTATION (including short-term contract):** Officers under the Central Government or State Government or Union territories or Semi-Government or recognized research institutions or Universities or Public Sector undertaking or statutory or autonomous organisations:- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis posts in level-6 (Rs.35,400-1,12,400/-) in the pay matrix in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). **Note 1**: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation or absorption. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** Period of deputation including short-term contract including period of deputation including short-term contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation including short-term contract shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
I. Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Additional Director General (Tourism) or Joint Secretary (Tourism) in charge of Administration, Ministry of Tourism – Chairman; 2. Director or Deputy Secretary in charge of Administration, Ministry of Tourism – Member; 3. Any other Director or Deputy Secretary, Ministry of Tourism – Member. **II. Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** 1. Additional Director General (Tourism) or Joint Secretary (Tourism) in charge of Administration, Ministry of Tourism – Chairman; 2. Director or Deputy Secretary in charge of Administration, Ministry of Tourism – Member; 3. Any other Director or Deputy Secretary, Ministry of Tourism – Member.	Consultation with the Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment.

[F. No. A-12018/01/2014-Admn.I]

OM PRAKASH, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2019.08.21 15:46:36 +05'30'